

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

3

अपील संख्या  
12/126/2018

प्रवेश तिथि  
28-06-2018

निर्णय दिनांक  
09-08-2018

01- राजेन्द्र सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति ब्राह्मण सिक्ख निवासी रामगढ़, जिला अलवर राज०

अपीलान्ट

बनाम

01- तहसीलदार, रामगढ़ जिला अलवर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ़  
दिनांक 08.03.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व  
अधिनियम प्रकरण संख्या 119/2018

उपस्थित:-

01-श्री मनमीत सिंह

-वकील अपीलान्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ़ के आदेश दिनांक 08.03.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का ग्राम विलासपुर की सरकारी बजंड अक्वल भूमि के आराजी खासरा नम्बर 686 रकबा 0.14 है०, में से 0.14 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जयें सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिनाथक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम विलासपुर की सरकारी बजंड अक्वल भूमि के आराजी खासरा नम्बर 686 रकबा 0.14 है० में से 0.14 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 21.02.2018 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सूने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पटवारी अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कर्मी वेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार को पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलान्ट को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 08.03.2018 के विरुद्ध दिनांक 28.06.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 09.08.2018 का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट पटवारी इल्का मिलवपुर द्वार भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 03.07.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है एवं तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह मौका परीक्षण कर एवं यदि अतिक्रमण यथावत गया जाता है अथवा अपीलान्ट उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण करता है, तो उसके विरुद्ध एल आर एक्ट के अन्तर्गत 91(6) के तहत कार्यवाही की जावे।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फौसज शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09-03-2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(ओ०पी०जैन)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)